राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

(भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में)

विज्ञापन सं. 03/ वि.सहा./ 2019-20

विकास सहायक/ विकास सहायक (हिन्दी) के पद के लिए भर्ती

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) में विकास सहायक / विकास सहायक (हिन्दी) के पद के लिए पात्र भारतीय नागरिकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं. उम्मीदवार **14 सितंबर 2019 और 02 अक्टूबर 2019** के बीच नाबार्ड की वेबसाइट www.nabard.org पर केवल ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. नाबार्ड अखिल भारतीय शीर्ष संगठन है जो पूर्ण रूप से भारत के स्वामित्व में है तथा जहां सबके लिए नियुक्ति के समान अवसर दिए जाते हैं.

आवेदन करने के पहले, उम्मीदवार सभी अनुदेशों को ध्यान पूर्वक पढ़ लें और यह सुनिश्चित करें कि वे पद के लिए निर्धारित सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं. नाबार्ड आवश्यक शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन में प्रस्तुत की गई जानकारी के आधार पर उम्मीदवारों को स्वीकार करेगा और उनके कार्यग्रहण के पूर्व उनकी पात्रता का सत्यापन करेगा. यदि किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन में दी गई कोई सूचना मिथ्य/ गलत है या बैंक के मतानुसार उम्मीदवार पद के लिए पात्रता मानदंड पूरे नहीं करता तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और उसे परीक्षा में शामिल होने/ कार्यग्रहण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वे केवल बैंक की वेबसाइट www.nabard.org के माध्यम से ही ऑनलाइन आवेदन करें.

हेल्पलाइन: फॉर्म भरने, शुल्क का भुगतान करने या कॉल लेटर प्राप्त करने में कोई समस्या हो तो http://cgrs.ibps.in पर पूछताछ की जा सकती है. कृपया ई-मेल के विषय के अंतर्गत 'नाबार्ड विकास सहायक/ विकास सहायक (हिन्दी) के लिए परीक्षा' लिखना न भूलें.

महत्वपूर्ण तारीखें:

वेबसाइट लिंक उपलब्ध होना – ऑनलाइन पंजीकरण और शुल्कों/ इंटीमेशन प्रभारों का ऑनलाइन भुगतान	**14 सितंबर 2019 से 02 अक्टूबर 2019**
चरण – I (प्राथमिक) – ऑनलाइन परीक्षा	20 अक्तूबर 2019
चरण – II (मुख्य) – ऑनलाइन परीक्षा	**परीक्षा की निश्चित तिथि की घोषणा अलग से नाबार्ड की वेबसाइट** www.nabard.org **पर की जाएगी.**

प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं के कारण तारीखों में परिवर्तन का अधिकार नाबार्ड के पास सुरक्षित रहेगा. कॉल लेटर/ हैंडआउट को डाउनलोड करने लिए हमारी वैबसाइट **www.nabard.org** पर ऑनलाइन लिंक्स दिए जाएंगे. उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है की भर्ती की प्रक्रिया के दौरान वे हमारी वैबसाइट नियमित रूप से देखें.

कृपया यह नोट करें कि उक्त विज्ञापन के संबंध में यदि कोई शुद्धि-पत्र जारी किया जाता है, तो वह बैंक की वैबसाइट www.nabard.org पर प्रकाशित किया जाएगा.

1. पदों की संख्या और आरक्षण – विकास सहायक

क्र. सं.	क्षेत्रीय कार्यालय	कुल	अना	श्रेणी						
				अजा	अजजा	अपिव	आकव	विकलांग	पूर्व सैनिक	डीआईएस-पूर्व सैनिक
1	आंध्र प्रदेश	2	1	0	0	1	0			
2	अरुणाचल प्रदेश	1	1	0	0	0	0			
3	बिहार	2	2	0	0	0	0			
4	छत्तीसगढ़	5	3	1	1	0	0			
5	गुजरात	4	2	0	0	2	0			
6	हरियाणा	4	4	0	0	0	0			
7	हिमाचल प्रदेश	2	1	1	0	0	0			
8	जम्मू और कश्मीर	3	2	0	1	0	0			
9	झारखंड	4	2	1	1	0	0			
10	कर्नाटक (बर्ड मंगलुरु)	2	1	0	0	1	0			
11	केरल	1	1	0	0	0	0			
12	मध्य प्रदेश	5	3	1	1	0	0			
13	महाराष्ट्र (प्रका-मुंबई)	20	11	3	2	2	2	**5**	**8**	**3**
14	मणिपुर	1	1	0	0	0	0			
15	मेघालय	1	1	0	0	0	0			
16	नई दिल्ली	1	1	0	0	0	0			
17	ओडिशा	4	2	1	0	1	0			
18	पंजाब	2	1	1	0	0	0			
19	राजस्थान	2	1	0	0	1	0			
20	सिक्किम	1	1	0	0	0	0			
21	तमिलनाडु	2	1	1	0	0	0			
22	तेलंगाणा	3	2	0	0	1	0			
23	उत्तर प्रदेश	4	3	1	0	0	0			
24	उत्तराखंड	6	4	1	0	1	0			
	कुल आरक्षण	**82**	**52**	**12**	**6**	**10**	**2**	**5**	**8**	**3**

नोट : विकलांग की 5 रिक्तियों में 2 पहले की रिक्तियां हैं. वीआई, एलडी और एमडी में से प्रत्येक के अंतर्गत 1 और एचआई के अंतर्गत 2 विकलांग रिक्तियां आरक्षित हैं.

1. पदों की संख्या और आरक्षण – विकास सहायक (हिन्दी)

<table>
<tr><th rowspan="2">क्र. सं.</th><th rowspan="2">क्षेत्रीय कार्यालय</th><th rowspan="2">कुल</th><th rowspan="2">अनारक्षित</th><th colspan="7">श्रेणी</th></tr>
<tr><th>अजा</th><th>अजजा</th><th>अपिव</th><th>आकव</th><th>पीडबल्यूबीडी</th><th>पूर्व सैनिक</th><th>डीआईएस- पूर्व सैनिक</th></tr>
<tr><td>1</td><td>बिहार</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td rowspan="7">1</td><td rowspan="7">1</td><td rowspan="7">1</td></tr>
<tr><td>2</td><td>गुजरात</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>3</td><td>महाराष्ट्र $</td><td>3</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>4</td><td>तमिलनाडु</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>5</td><td>तेलंगाणा</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>6</td><td>उत्तर प्रदेश (एनबीअजा)</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>7</td><td>पश्चिम बंगाल</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">कुल</td><td>9</td><td>5</td><td>2</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr>
</table>

नोट : विकलांग की 1 रिक्ति एलडी के लिए आरक्षित है.
$ प्रधान कार्यालय में 2 और महाराष्ट्र क्षेत्रीय कार्यालय, पुणे में एक (01) रिक्ति शामिल है.

संक्षेपाक्षर: अजा – अनुसूचित जाति, अजजा - अनुसूचित जनजाति, अपिव – अन्य पिछड़ा वर्ग, डीआईएस–पूर्व सैनिक – विकलांग हुए पूर्व सैनिक और कार्रवाई में हत पूर्वसैनिक के आश्रित, पीडब्ल्यूबीडी - विकलांग व्यक्ति, आकव-आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग

विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी)/ भूतपूर्व सैनिकों (पूर्व सैनिक) के लिए आरक्षण क्षैतिज आरक्षण है और विभिन्न संवर्गों में राज्य-वार रिक्तियों में शामिल है.

टिप्पणी: उम्मीदवार केवल एक राज्य में नियुक्ति के लिए आवेदन करें. बैंक को यह अधिकार है कि वह आवश्यकतानुसार रिक्तियों की संख्या में वृद्धि/ कमी करे या रिक्तियों को न भरे या भर्ती की प्रक्रिया को निरस्त कर दे.

उम्मीदवार विकास सहायक अथवा विकास सहायक (हिन्दी) में से केवल एक ही पद के लिए आवेदन कर सकते हैं.

आरक्षित संवर्ग के उम्मीदवारों के लिए दिशानिर्देश:

क) विकलांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार विभिन्न संवर्गों नामतः अनारक्षित, अजा, अजजा और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित कुल रिक्तियों के भीतर क्षैतिज आरक्षण के सिद्धान्त के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों (विकलांग) के लिए कुल रिक्तियों के 4% की दर से आरक्षण लागू होगा.

ख) विभिन्न संवर्गों नामतः अनारक्षित, अजा, अजजा और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित समग्र राज्यवार रिक्तियों के भीतर क्षैतिज आरक्षण के सिद्धान्त के अंतर्गत भूतपूर्व सैनिकों के लिए कुल रिक्तियों के 14.5% की दर से आरक्षण होगा जिसमें विकलांग भूतपूर्व सैनिकों और कार्रवाई के दौरान मारे गए सैनिकों के आश्रितों के लिए एकत्रित रूप से 4.5% रिक्तियाँ आरक्षित हैं.

ग) अजा/ अजजा/ अपिव (नॉन क्रीमी लेयर) जैसे आरक्षित संवर्ग के उम्मीदवार, यदि उनके राज्य में उनके संवर्ग के लिए रिक्तियाँ आरक्षित नहीं हैं तो अनारक्षित रिक्तियों के समक्ष आवेदन कर सकते हैं. तथापि, उन्हें अनारक्षित उम्मीदवारों के समकक्ष आयु और शैक्षिक अर्हता के लिए निर्धारित मानदंडों को पूरा करना होगा. तथापि, जहां भी लागू हो, शुल्क से संबन्धित छूट के लिए वे पात्र होंगे.

घ) अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार जो 'क्रीमी लेयर' के अंतर्गत आते हैं वे अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आरक्षण के लिए पात्र नहीं हैं. वे अपने नाम के सामने 'सामान्य' (अनारक्षित) लिखें.

ङ) भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार आरक्षण का लाभ उठाने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 31 मार्च 2019 के बाद जारी नॉन-क्रीमी लेयर का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा.

च) परिणामों को अंतिम रूप देते समय भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार विभिन्न संवर्गों के अंतर्गत आरक्षण प्रदान किया जाएगा.

छ) **आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (आकव) के लिए आरक्षण :**
जो व्यक्ति अजा, अजजा और अपिव के लिए आरक्षण की योजना में शामिल नहीं है और जिसके परिवार की सकल वार्षिक आमदनी रु. 8.00 लाख (रुपए आठ लाख) से कम है और जो भारत सरकार के आकव मानदंडों को पूरा करते हैं उनकी पहचान आरक्षण के लाभ के लिए आकव के रूप में की जानी है. आय में सभी स्रोतों, अर्थात् वेतन, कृषि, व्यापार, व्यवसाय आदि से आवेदन के वर्ष से पहले के वित्तीय वर्ष की आय शामिल होगी.

इसके अलावा जिन उम्मीदवारों के परिवार के पास निम्नलिखित आस्तियों में से कोई भी आस्ति होगी उन्हें आकव के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा चाहे उनकी पारिवारिक आय कितनी भी क्यों न हो:

i. 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि;
ii. 1000 वर्ग फीट या उससे अधिक का आवासीय फ्लैट;
iii. अधिसूचित नगरपालिका क्षेत्र में 100 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय प्लॉट;
iv. अधिसूचित नगरपालिका से भिन्न क्षेत्र में 200 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय प्लॉट;

ज. भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (आकव) के लिए आरक्षण कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय भारत सरकार के दिनांक 31.01.2019 के कार्यालय ज्ञापन सं. 36039/ 1/ 2019 – इस्ट. (रिज़.) से संचालित होगा.

प्रत्याख्यान: *आकव रिक्तियां अनुमानित हैं और भारत सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले निर्देशों के तथा किसी वाद के निर्णय के अधीन हैं. नियुक्ति अस्थायी होगी और आय और आस्ति प्रमाणपत्र के उचित माध्यमों से सत्यापन के अधीन होगी.*

आकव श्रेणी के अंतर्गत आरक्षण का लाभ भारत सरकार द्वारा निर्धारित फॉर्मेट में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी 'आय और आस्ति प्रमाणपत्र' प्रस्तुत करने पर लिया जा सकेगा. आकव के अंतर्गत आरक्षण का लाभ लेने वाले आवेदकों को 01 अप्रैल 2019 को या उसके बाद जारी आकव प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा.

ये दिशानिर्देश समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों/ स्पष्टीकरणों, यदि कोई हों, की शर्तों के अनुसार परिवर्तन के अधीन है.

झ) भर्ती की प्रक्रिया के दौरान आवश्यक विभिन्न प्रमाणपत्रों के फॉर्मेट उम्मीदवार के मार्गदर्शन के लिए हमारी वैबसाइट www.nabard.org- कैरियर नोटिस से डाउनलोड के लिए उपलब्ध हैं.

2. परिभाषाएं:

i) पूर्व सैनिक

वे उम्मीदवार भूतपूर्व सैनिक माने जाएंगे जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित वर्तमान अनुदेशों के अनुसार मानदंडों को पूरा करते हैं.

ii) विकलांग पूर्व सैनिक: वे भूतपूर्व सैनिक जो सशस्त्र सेनाओं की सेवा में रहते हुए, शत्रु के विरुद्ध या अशांत क्षेत्रों में कार्रवाई के दौरान विकलांग हुए हों, को विकलांग भूतपूर्व सैनिक माना जाएगा.

iii) सैन्य कार्रवाइयों में मारे गए सैनिकों के आश्रित व्यक्ति : उन सैनिकों को सैनिक सेवा में कार्रवाई के दौरान मृत माना जाएगा जो अग्रलिखित प्रकार की कार्रवाईयों में मारे गए हों - (क) युद्ध, (ख) पाकिस्तान या किसी अन्य देश के साथ युद्ध विराम रेखा पर युद्ध जैसी कार्रवाई अथवा सीमा पर हुई मुठभेड़, (ग) विद्रोह के विरुद्ध कार्रवाई के वातावरण में सशस्त्र दुश्मनों के विरुद्ध लड़ाई, जैसे नागालैण्ड, मिजोरम आदि में, (घ) विदेश में शांति स्थापना मिशन में सेवा, (ङ) किसी कार्रवाई की समाप्ति के एक माह पहले से लेकर तीन माह बाद तक के दौरान बारुदी सुरंगें बिछाने अथवा दुश्मनों द्वारा बिछाई गई सुरंगों को हटाने की कार्रवाई (च) वास्तविक सैन्य कार्रवाई या सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के दौरान शीतदंश लगना, (छ) आंदोलनरत पैरा मिलिटरी बलों से निपटना और (ज) श्रीलंका में सैनिक कार्रवाई के दौरान मृत भारतीय शांति सेना के सैनिक.

नोट:

क. केवल वही उम्मीदवार आवेदन करने के लिए पात्र हैं, जो **02.10.2020** को या उसके पूर्व सशस्त्र सेना से निकले हों/ सेवानिवृत्त हुए हों या जिनके सेना से निकलने/ सेवानिवृत्त होने की संभावना है. उन्हें नाबार्ड में ज्वाइन करने के समय अपना निर्गमन पत्र प्रस्तुत करना होगा और साथ ही इस आशय का एक स्व-घोषणा पत्र भी देना होगा कि वे भारत सरकार के नियमों के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को दिए जाने वाले लाभों के अधिकारी हैं. जो उम्मीदवार अपनी सेवा की आरंभिक अवधि पूरी कर चुके हों और विस्तारित कार्य में लगे हों, उन्हें इस आशय का

प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा. चुने जाने पर ऊपर उल्लिखित ऐसे सभी उम्मीदवारों को स्वयं को **02.10.2020** को या उसके पहले सैनिक सेवा से मुक्त कराना होगा.

ख. दिनांक 15 नवंबर 1986 से टेरिटोरियल आर्मी के कार्मिकों को भूतपूर्व सैनिकों के समान माना जाएगा.

ग. सरकारी गैर-सैनिक सेवा में पुनर्नियुक्ति के प्रयोजन से पूर्व सैनिकों को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के 14 अगस्त 2014 के कार्यालय ज्ञापन सं. 36034/ 2014/ इस्ट (रिज़) का अनुसार आरक्षण का लाभ दिया जाएगा.

घ. सैन्य कार्रवाई में मृत सैनिकों के आश्रित आरक्षण के लिए पात्र हैं. विकलांग हुए भूतपूर्व सैनिकों और कार्रवाई में मृत सैनिकों के आश्रितों के लिए मिलाकर 4.5% रिक्तियां आरक्षित हैं. नियुक्ति के मामले में पहली प्राथमिकता विकलांग हो चुके भूतपूर्व सैनिकों को दी जाएगी और दूसरी प्राथमिकता सैन्य कार्रवाई में मृत रक्षा कार्मिकों अथवा बहुत अधिक सीमा तक विकलांग हुए (रक्षा सेवाओं में हुई विकलांगता 50% से अधिक) रक्षा कार्मिकों को दी जाएगी. इस रियायत के प्रयोजन से परिवार के सदस्यों में विधवा, पुत्र, पुत्री या ऐसे निकट संबंधी शामिल होंगे जो परिवार को चलाने के लिए सहमत हों. ऊपरी आयु-सीमा और शैक्षणिक योग्यता में भूतपूर्व सैनिकों/ विकलांग भूतपूर्व सैनिकों को उपलब्ध छूट कार्रवाई में मृत सैनिकों के आश्रितों को उपलब्ध नहीं होगी.

ऑनलाइन परीक्षा में शामिल होने वाले पूर्व सैनिक उम्मीदवारों के मामले में केंद्र सरकार के अंतर्गत पुनर्नियुक्ति के मामले में उनपर निम्नलिखित नियम लागू होगा.

"जिन पूर्व-सैनिक उम्मीदवारों को केंद्र सरकार के अंतर्गत ग्रुप 'सी' और 'डी' में सुरक्षित नौकरी प्राप्त हो चुकी है उन्हें केंद्र सरकार के अंतर्गत ग्रुप 'सी' और 'डी' में उच्चतर ग्रेड या संवर्ग में दूसरी नियुक्ति प्राप्त करने के लिए आयु सीमा छूट का लाभ लेने की अनुमति है. लेकिन ऐसे उम्मीदवार केंद्र सरकार की नौकरी में दूसरी बार आरक्षण का लाभ लेने के लिए पत्र नहीं होंगे."

iv) विकलांग व्यक्ति

विकलांग जन अधिकार अधिनियम, 2016 में विकलांगता के विभिन्न संवर्गों के लिए लागू विकलांगता की परिभाषाएँ निम्नानुसार है:

3. **स्क्राइब का उपयोग करने वाले पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए दिशानिर्देश:**

ऑनलाइन परीक्षा के दौरान, दृष्टि विकलांगता वाले उम्मीदवार और ऐसे उम्मीदवार जिनकी लिखने की गति स्थायी रूप से बाधित है, अपनी लागत पर निम्नलिखित (i) और (ii) में निर्धारित सीमा के अंतर्गत अपने स्क्राइब का उपयोग कर सकते हैं. ऐसे सभी मामलों में जहां स्क्राइब की सहायता ली जाती है, निम्नलिखित नियम लागू होंगे:

क. आवेदक को अपनी लागत पर स्क्राइब की व्यवस्था करनी होगी.

ख. उम्मीदवार द्वारा लिया गया स्क्राइब इसी परीक्षा का उम्मीदवार नहीं होना चाहिए. यदि भर्ती प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर उक्त नियम का उल्लंघन किया जाता है तो उम्मीदवार और स्क्राइब दोनों की उम्मीदवारी रद्द की जाएगी.

ग. परीक्षा के लिए स्क्राइब की सेवाओं का उपयोग करने के लिए पात्र और इच्छुक उम्मीदवार अनिवार्य रूप से इस बात का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय उल्लेख करें. बाद में किए गए अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा.

घ. एक उम्मीदवार के लिए स्क्राइब का कार्य करने वाला व्यक्ति अन्य उम्मीदवार के लिए स्क्राइब का कार्य नहीं कर सकता.

ङ. स्क्राइब शिक्षा के किसी भी विषय का छात्र हो सकता है.

च. परीक्षा के समय उम्मीदवार और स्क्राइब दोनों कॉल लेटर के साथ-साथ एक उपयुक्त वचन-पत्र देंगे जिसमें यह पुष्टि की जाएगी कि स्क्राइब ऊपर उल्लिखित सभी निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करता है. इसके अलावा, यदि बाद में यह पता चलता है कि स्क्राइब ने किसी निर्धारित पात्रता मानदंड को पूरा नहीं किया है या महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाया है, तो आवेदक की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी, चाहे परीक्षा का परिणाम कुछ भी हुआ हो.

छ. वचनपत्र का प्रोफार्मा नाबार्ड की वेबसाइट www.nabard.org पर उपलब्ध है. जो उम्मीदवार स्क्राइब का उपयोग करते हैं उन्हें परीक्षा के प्रत्येक घंटे के लिए 20 मिनट का अनुपूरक समय दिया जाएगा या अन्यथा सूचित किया जाएगा.

ज. जिन उम्मीदवारों ने क्षतिपूर्ति समय के लिए पंजीकरण कराया होगा, केवल उन्हें ही यह सुविधा मिलेगी क्योंकि उम्मीदवारों को दिया जाने वाला क्षतिपूर्ति समय सिस्टम पर आधारित होता है. जांच संचालित करने वाली एजेंसी के लिए इसकी अनुमति देना संभव नहीं होगा यदि उम्मीदवार ने इसके लिए पंजीकरण न कराया हो. जो उम्मीदवार क्षतिपूर्ति समय के लिए पंजीकृत नहीं होंगे उन्हें यह सुविधा नहीं दी जाएगी.

(i) लोकोमोटर अक्षमता और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात वाले उम्मीदवारों के लिए दिशानिर्देश

लोकोमोटर अक्षमता और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात वाले जिन उम्मीदवारों की प्रमुख (लिखने की) एक्स्ट्रीमिटी काम करने की क्षमता को कम कर देने वाली है (कम से कम 40% क्षति), उन्हें प्रति घंटा 20 मिनट अथवा अन्यथा सूचित का अतिरिक्त समय दिया जाएगा.

(ii) दृष्टि अक्षमता वाले उम्मीदवारों के लिए दिशानिर्देश

• दृष्टि अक्षमता वाले उम्मीदवार (जिनकी अक्षमता 40% से कम नहीं है) यह विकल्प दे सकते हैं कि वे फॉन्ट का आकार बड़ा कर जांच परीक्षा की विषय-वस्तु को देखें और ऐसे सभी उम्मीदवार परीक्षा के प्रत्येक घंटे के लिए 20 मिनट अतिरिक्त अथवा अन्यथा यथासूचित क्षतिपूर्ति समय के लिए पात्र होंगे.

• फॉन्ट के आकार को बढ़ाकर विषय-वस्तु को देखने की सुविधा का लाभ दृष्टि अक्षमता वाले ऐसे उम्मीदवारों को उपलब्ध नहीं होगा जो परीक्षा के लिए स्क्राइब की सेवाएं लेते हैं.

इ. चालन नि:शक्तता (एलडी): प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, उपचारित कुष्ठरोगी, बौनापन, मांसपेशीय दिस्ट्रोफी और तेज़ाब हमले से पीड़ित व्यक्तियों सहित मांसपेशीय या अस्थिपंजर के अक्षम होने के कारण स्वयं के या

वस्तुओं के चालान से जुड़ी, विशेष कार्य कर पाने में व्यक्ति की अक्षमता. ओर्थोपेडिक बाधा वाले व्यक्तियों को निम्नलिखित बेंच मार्क वाली चालन निःशक्तता के अंतर्गत शामिल किया जाएगा :

क. एक बांह – एक बांह प्रभावित (दाहिना या बायां)

ख. एक पैर – एक पैर प्रभावित (दाहिना या बायां)

ग. एक बांह और एक पैर प्रभावित

घ. दोनों पैर – दोनों पैर प्रभावित लेकिन बांह नहीं

'एक बांह' और 'एक बांह और एक पैर' प्रभावित वाली श्रेणी के व्यक्तियों का बाइलैटरल हैंड फंक्शन सामान्य होना चाहिए.

(i) **"कुष्ठरोग मुक्त व्यक्ति"** से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके कुष्ठरोग का उपचार किया जा चुका है. लेकिन जो निम्नलिखित से पीड़ित है:

(क) हाथों या पैरों में संवेदना का अभाव साथ ही आँख और पलकों में संवेदना का अभाव तथा पेशीगत पक्षाघात लेकिन कोई प्रकट विरूपता नहीं;

(ख) प्रकट विरूपता और पेशीगत पक्षाघात लेकिन हाथों और पैरों में इतनी पर्याप्त चलन क्षमता जिससे वह सामान्य आर्थिक गतिविधि संचालित कर सके;

(ग) अत्यधिक शारीरिक विरूपता और बड़ी उम्र जो उसे कोई लाभप्रद पेशा अपनाने से रोकती है और 'उपचारित कुष्ठरोगी' अभिव्यक्ति का आशय तदनुसार होगा.

(ii) **"प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात"** से ऐसा नॉन प्रोग्रेसिव न्यूरोलोजिकल स्थितियों का समूह अभिप्रेत है जो शरीर के चालन और मांस पेशियों के बीच समन्वय को प्रभावित करता है और ऐसा जन्म के पहले या उसके दौरान या उसके तुरंत बाद सामान्यतः मस्तिष्क के किसी एक या अधिक विशेष हिस्सों में हुई क्षति के कारण होता है;

(iii) **"बौनापन"** से ऐसी चिकित्सीय या आनुवांशिक स्थिति अभिप्रेत है जिससे वयस्क की ऊंचाई 4 फीट 10 इंच (147 सें.मी.) या उससे कम होती है;

(iv) **"पेशीय डिस्ट्रोफी"** से ऐसा आनुवांशिक पेशीय रुग्णता समूह अभिप्रेत है जो मानव शरीर को चलाने वाली पेशियों को कमजोर करता है और बहु डिस्ट्रोफी से प्रभावित व्यक्तियों में जीन संबंधी कुछ अशुद्धता या अभाव होता है जिसके कारण स्वस्थ पेशियों के लिए आवश्यक प्रोटीन नहीं बन पता. इसके लक्षण हैं स्केलेटल पेशियों में बढ़ती हुई कमजोरी, पेशीगत प्रोटीन में त्रुटि और पेशियों के सेल्स और टिशूज का मृत हो जाना;

(v) **"एसिड अटैक से पीड़ित व्यक्ति"** से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो एसिड या इसी प्रकार की घातक वस्तु के हिंसक आक्रमण से विरूपित हो गया हो.

अ. दृष्टि विकलांग (वीआई) : सिर्फ ऐसे दृष्टि विकलांग आवेदन करने हेतु पात्र हैं जो सर्वोत्कृष्ट संभव सुधार के बाद भी निम्नलिखित में से किसी एक समस्या से ग्रस्त हैं:

(i) दृष्टिहीनता

i. पूर्ण दृष्टिहीनता; या
ii. सर्वोत्कृष्ट संभव सुधार के साथ बेहतर आंख से 3/60 अथवा 10/200 (स्नेलेन) से कम दृष्टिगत क्षमता.
iii. 10 डिग्री के कोण से कक्षांतरित दृष्टि क्षेत्र सीमा या उससे भी खराब स्थिति.

(ii) कम दृष्टि

(i) सर्वोत्कृष्ट संभव सुधार के साथ बेहतर आंख से 6/18 से अनधिक अथवा 20/60 से कम 3/60 अथवा 10/ 200 (स्नेलेन) तक दृष्टिगत क्षमता; या
(ii) 40 डिग्री से कम 10 डिग्री तक कोण से कक्षांतरित दृष्टि क्षेत्र सीमा.

आ. श्रवण क्षतिग्रस्तता:

क. बधिर : इससे ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो दोनों कानों में स्पीच फ्रिक्वेंसी में 70 डीबी श्रवण हानि से ग्रस्त हो.

ख. कम सुनाई देना : इससे ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो दोनों कानों में स्पीच फ्रिक्वेंसी में 60 डीबी से 70 डीबी तक श्रवण हानि से ग्रस्त हो.

ई. इस श्रेणी में केवल वही व्यक्ति आवेदन करने के लिए पात्र हैं जिन्हें निम्नलिखित में से किसी एक प्रकार की विकलांगता है :

(i) "विशिष्ट ज्ञानार्जन अक्षमता" (एसएलडी) : इससे ऐसी स्थितियों के बहुविध समूह अभिप्रेत हैं जिनमें लिखित या मौखिक भाषा को समझने में कमी होती है जिसका प्रकटन भाषा को समझने, बोलने, पढ़ने, लिखने, वर्तनी में और अंकों की गणना करने में कठिनाई होती है. इसमें अवधारणात्मक अक्षमताएं, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकलकुलिया, डिस्प्रेक्सिया और डेवलपमेंटल अफासिया शामिल हैं.

(ii) "मानसिक बीमारी"(एमआई) : इससे विचार-शक्ति, भावदशा, अवधारणा, उन्मुखता या समरण-शक्ति की ऐसी अधिक अव्यवस्था अभिप्रेत हैं जिससे निर्णय क्षमता, व्यवहार, वास्तविकता को समझने की क्षमता या जीवन की दैनंदिन सामान्य मांगों को पूरा करने की क्षमता क्षतिग्रस्त होती है. लेकिन इसमें ऐसा मंदबुद्धित्व शामिल नहीं है जो मस्तिष्क के विकास के अवरुद्ध हो जाने या अपूर्ण रह जाने के कारण उत्पन्न होने वाली स्थिति है जिसका लक्षण व्यक्ति में सामान्य से कम बुद्धि होना है.

(iii) "ऑटिज़्म, स्पेक्ट्रम डिसॉर्डर" (एएसडी) : इससे ऐसी तंत्रिका विकास की ऐसी स्थिति अभिप्रेत है जो 3 वर्ष की उम्र तक सामने आती हैं और व्यक्ति की सम्प्रेषण क्षमता, रिश्तों की समझ और अन्य व्यक्तियों से संबंध स्थापित करने की क्षमता को काफी हद तक प्रभावित करती है और इसमें असामान्य या एक ही प्रकार के कार्य या व्यवहार करने की प्रवृत्ति होती है.

(iv) बौद्धिक अक्षमता – यह ऐसी स्थिति है जिसमें बौद्धिक कार्यक्षमता (तर्क बुद्धि, ज्ञानार्जन, समस्या समाधान) उल्लेखनीय रूप से सीमित हो जाती है और साथ ही परिस्थितियों के अनुकूल व्यवहार करने की क्षमता भी सीमित होती है जिसके अंतर्गत अनेक दैनंदिन सामाजिक और व्यावहारिक कौशल आते हैं.

उ. "बहु-अक्षमता" से भारत सरकार के 05 जनवरी 2018 की राजपत्र अधिसूचना में बहु-अक्षमता के अंतर्गत निर्दिष्ट अक्षमताओं में से दो या अधिक अक्षमताओं का संयोग अभिप्रेत है जिनकी सूची निम्नानुसार है:

क्र.	**अक्षमता**	**क्र.**	**अक्षमता**
1	दृष्टिहीनता	10	क्रोनिक न्यूरोलोजिकल स्थितियां
2	कम-दृष्टि	11	विशिष्ट ज्ञानार्जन अक्षमता
3	उपचारित कुष्ठरोगी	12	मल्टीपल-स्लेरोसिस
4	श्रवण क्षतिग्रस्तता (बधिर और कम सुनाई देना)	13	उच्चारण और भाषागत अक्षमता
5	चालन अक्षमता	14	थेलेसेमिया
6	बौनापन	15	हेमोफीलिया
7	ऑटिज़्म, स्पेक्ट्रम डिसॉर्डर	16	सिकल सेल रोग
8	प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात	17	एसिड आक्रमण से पीड़ित
9	पेशीय डिस्ट्रोफी	18	पार्किंसन रोग

नोट : केवल 'बेंचमार्क विकलांगता' (पीडबल्यूबीडी) वाले व्यक्ति ही जिनकी विकलांगता उन मामलों में जिनमें मापने योग्य रूप से विशिष्ट विकलांगता को परिभाषित न किया गया हो, 40% से कम न हो, आरक्षण के लिए पात्र होंगे और इसमें ऐसे व्यक्ति शामिल हैं जिनकी विकलांगता मापने योग्य रूप में परिभाषित की गई है और वह प्रमाणनकर्ता प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित की गई है.

जो व्यक्ति आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं उन्हें चिकित्सा प्राधिकारी अथवा आवेदन में उल्लिखित आवास प्रमाणपत्र में दिए गए आवेदक के आवास के जिले में किसी अन्य अधिसूचित सक्षम प्राधिकारी (प्रमाणनकर्ता प्राधिकारी) द्वारा निर्धारित फॉर्मेट में अद्यतन विकलांगता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा. **प्रमाणपत्र आवेदन के पंजीकरण के लिए निर्धारित अंतिम तारीख को या उसके पहले दिनांकित होना चाहिए.**

उपर्युक्त दिशानिर्देश समय-समय पर भारत सरकार के दिशानिर्देशों/ स्पष्टीकरणों, यदि कोई हों, के अधीन है.

4. पात्रता मानदंड:

(क) आयु (01-09-2019 को):

18 से 35 वर्ष के बीच. केवल ऐसे उम्मीदवार पात्र होंगे जिनका जन्म 02-09-1984 से पहले और 01-09-2001 के बाद (दोनो तारीखों को शामिल करते हुए) नहीं हुआ हो.

ऊपरी आयु सीमा में छूट:

ऊपरी आयु सीमा में निम्नानुसार छूट दी जाएगी:

क्रम सं.	**श्रेणी**	**आयु में छूट**
(i)	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति	5 वर्ष अर्थात् 40 वर्ष तक
(ii)	अन्य पिछड़ा वर्ग (अपिव)	3 वर्ष अर्थात् 38 वर्ष तक
(iii)	शारीरिक अक्षमता वाले व्यक्ति (पीडब्ल्यूबीडी)	10 वर्ष (सामान्य) 13 वर्ष (अपिव) एवं 15 वर्ष (अजा/अजजा)
(iv)	पूर्व सैनिक	सशस्त्र सेनाओं में की गई सेवा अवधि और 3 वर्ष की अतिरिक्त अवधि, अधिकतम 50 वर्ष के अधीन.
(v)	विधवा/ तलाकशुदा महिलाएं/ महिलाएं जो कानूनी रूप से अलग हैं और जिन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया है.	10 वर्ष
(vi)	ऐसे उम्मीदवार जो सामान्यत: 01 जनवरी 1980 और 31 दिसम्बर 1989 के बीच जम्मू और कश्मीर राज्य के कश्मीर प्रभाग के अधिवासी रहे हैं.	5 वर्ष

नोट: उपर्युक्त मदों के अंतर्गत उम्र सीमा में संचयी छूट नहीं दी जाएगी अथवा किसी अन्य मद के साथ संयुक्त रूप से छूट नहीं दी जाएगी.

जो उम्मीदवार आयु सीमा में छूट चाहते हैं, उन्हें दस्तावेज़ सत्यापन के समय आवश्यक प्रमाणपत्र (पत्रों) की प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी.

(ख) शैक्षणिक योग्यता (01-09-2019 को) :

(अ) विकास सहायक

भारत में किसी केंद्रीय या राज्य के अधिनियम द्वारा निगमित मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान अथवा संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा (3) के अंतर्गत विश्वविद्यालय के रूप में मान्य घोषित किसी अन्य शैक्षणिक संस्था से समग्र रूप से न्यूनतम 50% अंकों के साथ (अजा/ अजजा/ पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए पास श्रेणी) किसी भी विषयक्षेत्र में स्नातक डिग्री या समकक्ष योग्यता.

(आ) विकास सहायक (हिन्दी)

1. मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अनिवार्य अथवा वैकल्पिक विषय के रूप में हिन्दी और अंग्रेजी के साथ अंग्रेजी/हिन्दी माध्यम से समग्र रूप से न्यूनतम 50% अंकों के साथ (अजा/ अजजा/ पीडब्ल्यूबीडी/ पूर्व सैनिक उम्मीदवारों के लिए पास अंक) स्नातक डिग्री **अथवा** मुख्य विषयों के रूप में हिन्दी और अंग्रेजी के साथ समग्र रूप से न्यूनतम 50% अंकों के साथ (अजा/ अजजा/ पीडब्ल्यूबीडी/ पूर्व-सैनिक उम्मीदवारों के लिए पास श्रेणी) स्नातक डिग्री.

उम्मीदवार के पास अंग्रेजी से हिन्दी और हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद करने की योग्यता होना अनिवार्य है.

नोट :

i) सभी शैक्षणिक योग्यताएं भारत में किसी केंद्रीय अधिनियम अथवा राज्य विधान अथवा संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी अन्य शैक्षणिक संस्थान अथवा यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत डीम्ड घोषित विश्वविद्यालय से प्राप्त होनी चाहिए.

ii) कुछ विश्वविद्यालय/ संस्थान अंकों को श्रेणी अथवा प्रतिशत प्रदान नहीं करते हैं और सकल ग्रेड पॉइंट आबंटित करते हैं (यथा सीजीपीए/ ओजीपीए/ सीपीआई आदि) यदि विश्वविद्यालय / संस्थान सकल ग्रेड पॉइंट को अंकों की श्रेणी और/ अथवा प्रतिशत में बदलने का कोई मानदंड घोषित करती हैं वो स्वीकार्य होगा. तथापि जहां विश्वविद्यालय/ संस्थान सकाल ग्रेड पॉइंट को अंकों की श्रेणी और/ अथवा प्रतिशत में बदलने का कोई मानदंड नहीं देती है तो अपरिभाषित पैरामीटर निम्नानुसार होंगे :

सीजीपीए/ ओजीपीए/ सीपीआई अथवा दस पॉइंट के पैमाने पर आबंटित इसी प्रकार की परिभाषाएँ	अंकों का प्रतिशत
6.75	60%
6.25	55%
5.75	50%
5.25	45%

iii) जहां भी सकल ग्रेड पॉइंट अथवा अंकों का प्रतिशत प्रदान किया जाता है तो इसका आशय पाठ्यक्रम की पूरी अवधि और सभी विषय के सकल जोड़ से है.

iv) जहां सकल ग्रेड पॉइंट (सीजीपीए/ ओजीपीए/ सीपीआई आदि) दस अंक के स्थान के अतिरिक्त किसी रूप में प्रदान किए जाते हैं तो उन्हें दस में से प्रदान किए जाने के रूप में समीकृत किया जाएगा और उक्त (ii) के अनुसार परिभाषित किया जाएगा.

v) प्रतिशत की गणना : ऑनर्स/ वैकल्पिक/ अतिरिक्त वैकल्पिक विषय यदि कोई हों तो उन सबमें प्राप्त अधिकतम अंकों को जोड़ते हुए सभी सेमिस्टरों/ वर्षों में सभी विषयों में उम्मीदवार के कुल प्राप्तांक को विभाजित कर प्रतिशत अंक की गणना की जाएगी. यह उन विश्वविद्यालयों के मामले में भी लागू होगा जहां क्लास/ ग्रेड का निर्णय ऑनर्स के अंकों के आधार पर ही किया जाता है. यदि गणना में प्रतिशत का भाग आता है तो उसे इग्नोर किया जाएगा अर्थात् 49.99% को 50% से कम माना जाएगा.

2. पूर्व सैनिक श्रेणी के उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए या उसे सशस्त्र बलों की मैट्रिकुलेशन अथवा उसकी समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और साथ ही रक्षा सेवा में 15 वर्ष की सेवा दी होनी चाहिए.

3. **किसी राज्य में आवेदन करने वाले उम्मीदवार को उस राज्य की भाषा में प्रवीण होना चाहिए (यथा उसे उस भाषा को पढ़ने, लिखने, बोलने और समझने की योग्यता होनी चाहिए).** संबन्धित राज्य के राजपत्र में घोषित प्रमुख भाषा राज्य की राजभाषा होगी.

(ग) चयन की प्रक्रिया:

विकास सहायक

I - प्रारम्भिक परीक्षा (ऑनलाइन)

क्रम सं.	जांच परीक्षा (वस्तुनिष्ठ) का नाम	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	कुल समय
1	अंग्रेजी भाषा की परीक्षा	40	40	कुल 60 मिनट
2	आंकिक योग्यता की परीक्षा	30	30	
3	तर्क शक्ति की परीक्षा	30	30	
	जोड़	100	100	

II - मुख्य परीक्षा (ऑनलाइन)

क्रम सं.	जांच परीक्षा का नाम	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	कुल समय
1	तर्क शक्ति की परीक्षा	30	30	वस्तुनिष्ठ परीक्षा के लिए कुल 90 मिनट और विवरणात्मक परीक्षा के लिए 30 मिनट
2	संख्यात्मक अभिक्षमता	30	30	
3	साधारण जागरूकता (कृषि, ग्रामीण विकास और बैंकिंग के विशेष संदर्भ में)	50	50	
4	कंप्यूटर ज्ञान	40	40	
5	अंग्रेजी भाषा की परीक्षा (वर्णनात्मक)	निबंध, सार लेखन, रिपोर्ट/ पत्र लेखन	50	
	जोड़		**200**	

विकास सहायक (हिन्दी), परीक्षा पद्धति निम्नानुसार होगी :

I - प्रारम्भिक परीक्षा (ऑनलाइन)

क्रम सं.	जांच परीक्षा (वस्तुनिष्ठ) का नाम	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	कुल समय
1	अंग्रेजी भाषा की परीक्षा	40	40	कुल 60 मिनट
2	व्यवसायगत ज्ञान (हिन्दी) की परीक्षा	30	30	
3	तर्क शक्ति की जांच	30	30	
	जोड़	100	100	

II - मुख्य परीक्षा (ऑनलाइन)

क्रम सं.	जांच परीक्षा का नाम	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	कुल समय
1	तर्क शक्ति की जांच	20	20	वस्तुनिष्ठ परीक्षा के लिए कुल 90 मिनट और विवरणात्मक परीक्षा के लिए 30 मिनट
2	व्यवसायगत ज्ञान (हिन्दी) की परीक्षा	50	50	
3	साधारण जागरूकता (कृषि, ग्रामीण विकास और बैंकिंग के विशेष संदर्भ में)	40	40	
4	कंप्यूटर ज्ञान	40	40	
5	अंग्रेजी भाषा की जांच (वर्णनात्मक)	निबंध, सार लेखन, रिपोर्ट/ पत्र लेखन	50	
	जोड़		**200**	

III. भाषा दक्षता परीक्षा:

चयन के लिए अर्हताप्राप्त जो उम्मीदवार 10वीं अथवा 12वीं कक्षा का ऐसा अंकपत्र/ प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेंगे जिसमें एक विषय के रूप में राजभाषा इंगित हो, उनकी भाषा दक्षता परीक्षा नहीं ली जाएगी. अन्य उम्मीदवारों के मामले में (जो चयन के लिए अर्हता प्राप्त हों) भाषा दक्षता परीक्षा, मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद संबन्धित राज्य के क्षेत्रीय कार्यालय में ली जाएगी. भाषा दक्षता परीक्षा संबंधित राज्य की राजभाषा में ली जाएगी. **जो उम्मीदवार राजभाषा में दक्ष नहीं पाए जाएंगे उन्हें अनर्ह घोषित किया जाएगा अर्थात्** जो उम्मीदवार इस परीक्षा में असफल होते हैं, उन्हें नियुक्ति नहीं दी जाएगी.

आयोजित की जानेवाली भाषा दक्षता परीक्षा के विवरण मुख्य परीक्षा के बाद नाबार्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे. चुने गए उम्मीदवारों/ प्रतीक्षा सूची में शामिल उम्मीदवारों को भाषा दक्षता परीक्षा देनी होगी. यह परीक्षा अर्हक प्रकृति की होगी. जो उम्मीदवार इस परीक्षा में अर्हता प्राप्त नहीं कर पाएंगे वे नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे. इस संबंध में संबन्धित राज्य/ राज्यों के लिए भाषा दक्षता परीक्षा हेतु निर्दिष्ट भाषा/ भाषाओं की सूची अनुबंध I में दी गई है.

परीक्षा योजना :

i. अंग्रेज़ी को छोड़कर प्रारंभिक और मुख्य ऑनलाइन परीक्षा द्विभाषी रूप में अर्थात् अंग्रेज़ी और हिंदी में उपलब्ध होगी.

ii. प्रारंभिक परीक्षा केवल अर्हता के लिए होगी और इसका आशय जांच परीक्षा से है. जो उम्मीदवार एकल परीक्षाओं और समग्रत: दोनों में पर्याप्त उच्च अंक हासिल करते हैं, केवल उन्हें ही मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा. इन उम्मीदवारों को परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंक के आधार पर निर्धारित कट-ऑफ के अनुसार अधिकतम 1:25 के अनुपात में बुलाया जाएगा. इसी प्रकार, जो उम्मीदवार मुख्य परीक्षा में कट-ऑफ अंक अथवा इससे अधिक अंक हासिल करते हैं, उन्हें ही चयन के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा.

iii. परीक्षा के दोनों चरणों में वस्तुनिष्ठ परीक्षा में गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाएंगे. एक गलत उत्तर के लिए एक चौथाई अंक दंड के रूप में घटा लिया जाएगा.

iv. परीक्षा से संबंधित अन्य विस्तृत सूचना एक सूचना पुस्तिका में दी जाएगी जिसे उम्मीदवार अपने परीक्षा के कॉल-लेटर के साथ नाबार्ड वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं.

v. उम्मीदवारों का अंतिम चयन ऑनलाइन मुख्य परीक्षा में उनके निष्पादन के आधार पर उनकी योग्यता और बायोमेट्रिक जांच के आधार पर किया जाएगा. इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा. चयन के लिए अस्थायी रूप से अर्ह उम्मीदवारों की अंतिम चयन सूची बैंक के वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी. पद के लिए निर्धारित योग्यता और ऑनलाइन आवेदन में प्रस्तुत सूचना की जांच के बाद ही नियुक्ति की जाएगी.

vi. सही और गलत उत्तरों में समानता के पैटर्न का पता लगाने के लिए विभिन्न उम्मीदवारों के उत्तरों का विश्लेषण किया जाएगा. यदि इस विश्लेषण से यह साबित होता है/ निष्कर्ष निकलता है कि उत्तरों को साझा किया गया है और इस प्रकार प्राप्त अंक प्रामाणिक/ वैध नहीं हैं, तो आप की उम्मीदवारी निरस्त की

जा सकती है. यदि कोई उम्मीदवार नकल करता हुआ अथवा सहायता लेता या देता हुआ या किसी अशोभनीय कृत्य में संलिप्त पाया जाता है, तो उसका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा. नाबार्ड ऐसे उम्मीदवारों के विरुद्ध अन्य अपेक्षित कार्रवाई कर सकता है.

vii. यदि कोई उम्मीदवार पररूपधारी हो अथवा जिसे नाबार्ड द्वारा प्रतिरूपण या छेड़छाड़ किए गए जाली दस्तावेज प्रस्तुत करने, त्रुटीपूर्ण अथवा असत्य वक्तव्य देने अथवा कोई महत्वपूर्ण सूचना छुपाने अथवा परीक्षा में शामिल होने के लिए कोई अन्य अनियमित या गलत तरीका अपनाने अथवा परीक्षा भवन में अनुचित तरीका अपनाने का प्रयास करने अथवा परीक्षा भवन में अभद्र व्यवहार करने का दोषी घोषित किया गया हो, उसे स्थायी रूप से अथवा एक विशिष्ट अवधि के लिए वंचित कर दिया जाएगा.

(II) चयन प्रक्रिया:

i. **अंतिम चयन के लिए राज्य-वार योग्यता सूची तैयार की जाएगी.** प्रारंभिक परीक्षा (चरण I) में प्राप्त अंकों को चयन के लिए अंतिम योग्यता सूची तैयार करने के लिए नहीं जोड़ा जाएगा. केवल मुख्य परीक्षा (चरण-II) के वस्तुनिष्ठ परीक्षा और विवरणात्मक परीक्षा दोनों में प्राप्त अंकों को अंतिम योग्यता सूची तैयार करने के लिए जोड़ा जाएगा.

ii. **समान अंक प्राप्त होने की स्थिति समाधान निकालना :** यदि एक से अधिक उम्मीदवार एक-समान अंक प्राप्त करते हैं, तो इस मामले को निम्नलिखित तरीकों से क्रमानुसार हल किया जाएगा :

क) उच्च शैक्षणिक योग्यता

ख) यदि शैक्षणिक योग्यता समान हो, तो स्नातक में प्राप्त उच्चतर अंक

ग) यदि स्नातक में समान अंक हो, तो उच्चतर वय को वरीयता दी जाएगी.

iii. **प्रतीक्षा सूची:** रिक्तियों के 50% तक (राज्य-श्रेणी वार) अथवा न्यूनतम ***तीन*** अधीन प्रतीक्षा सूची रखी जाएगी. केवल चुने गए उम्मीदवारों की सूची के उम्मीदवारों कार्यग्रहण नहीं करने पर प्रतीक्षा सूची के उम्मीदवारों पर विचार किया जाएगा. पैनल की वैधता, सक्षम प्राधिकारी द्वारा चयन सूची के अनुमोदन की तिथि से एक वर्ष अथवा विकास सहायक/ विकास सहायक (हिंदी) के लिए अगली भर्ती परीक्षा के परिणाम घोषित करने की तिथि इसमें जो भी पहले हो, तब तक होगी.

iv. **चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति बैंक के नियमों के अनुसार उनके चिकित्सीय रूप से स्वस्थ्य घोषित किए जाने की शर्त पर होगी.**

(घ) अजा/अजजा/अपिव/ पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए भर्ती-पूर्व प्रशिक्षण

बैंक, अजा/अजजा/अपिव/पीडबल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए इस संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार नि:शुल्क परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करेगा. उक्त श्रेणियों के जो उम्मीदवार उक्त प्रशिक्षण में शामिल होना चाहते हैं वे अपने राज्य में स्थित नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय/ प्रधान कार्यालय को लिखें. भर्ती-पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम का विकल्प चुनने वाले उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के संबंध में संबन्धित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा सूचना दी जाएगी. संबन्धित भर्ती-पूर्व प्रशिक्षण केंद्र पर भर्ती-पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम में सहभागी होने के लिए यात्रा, रहने, खाने-पीने आदि संबन्धित सभी व्यय उम्मीदवार को वहन करने होंगे. उम्मीदवारों के प्रतिसाद और प्रशासनिक व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए किसी भर्ती-पूर्व प्रशिक्षण केंद्र को छोड़ देने और/ या किसी नए केंद्र को जोड़ देने और/ या कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने का अधिकार बैंक को है. परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण

के आवेदन का फॉर्मेट नाबार्ड की वेबसाइट www.nabard.org पर उपलब्ध है. भर्ती-पूर्व प्रशिक्षण के आवेदन हमारे कार्यालयों को **04 अक्तूबर 2019** को या उसके पहले मिल जाने चाहिए.

आवेदन भेजने के लिए नाबार्ड के कार्यालयों के पते :

1. आंध्र प्रदेश, क्षेत्रीय कार्यालय, नाबार्ड 1-1-61, आर.टी.सी, क्रॉस रोड, मुशीराबाद, हैदराबाद-500020.
2. अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय, नाबार्ड, बैंक तिनाली, वीआईपी रोड, पो. बॉक्स सं. 133, इटानगर 791111.
3. बिहार क्षेत्रीय कार्यालय, नाबार्ड, मौर्य लोक कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक बी, 4 एवं 5 मंजिल, डाक बंगला रोड, पटना 800001.
4. छत्तीसगढ़ क्षेत्रीय कार्यालय, नाबार्ड, अनन्या, प्लॉट सं. 01, सैक्टर 24, विपरीत सेंट्रल पार्क, अटल नगर, नवा रायपुर 492101.
5. गुजरात क्षेत्रीय कार्यालय, नाबार्ड टावर, म्यूनिसिपल गार्डेन के सामने, उसमानपुरा, अहमदाबाद 380013.
6. हरियाणा क्षेत्रीय कार्यालय, प्लॉट नो.3, सेक्टर 34-ए पोस्ट बॉक्स नं. 7, चंडीगढ़ 160022
7. हिमाचल प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय, ब्लॉक नं. 32, एसडीए कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, देवनगर, कुसुमपट्टी, शिमला 171009.
8. जम्मू और कश्मीर क्षेत्रीय कार्यालय, नाबार्ड, रेल्वे रोड रेलहैड कॉम्प्लेक्स, सरस्वती धाम के पास, जम्मू 180012
9. झारखंड क्षेत्रीय कार्यालय, नाबार्ड, आदिवासी कालेज के सामने, होस्टेल, करंपटोली रोड, रांची 834001.
10. कर्नाटक क्षेत्रीय कार्यालय, नाबार्ड टावर, 46 के जी रोड, बंगलुरु 560009.
11. केरल क्षेत्रीय कार्यालय, पुन्नेन रोड, स्टेच्यु, तिरुवनन्तपुरम 695039.
12. मध्य प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय, नाबार्ड, ई-5, अरेरा कॉलोनी, बिट्टन मार्केट, पी.ओ.रविशंकर नगर, भोपाल 462016.
13. प्रधान कार्यालय, नाबार्ड, सी-24/ जी ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पू), मुंबई 400051.
14. मणिपुर क्षेत्रीय कार्यालय, नाबार्ड, लाइरेन मैनशन, दूसरी मंज़िल, लमफेलपट, इम्फ़ाल 795004.
15. मेघालय क्षेत्रीय कार्यालय, नाबार्ड, 'यू' फेट खर्मीहपेन बिल्डिंग, दूसरी और तीसरी मंज़िल, प्लॉट सं. 28(2), धनखेती, शिलांग 793003.
16. नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय, 24, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली 110008.
17. ओडिशा क्षेत्रीय कार्यालय, नाबार्ड, "अंकुर", 2/1 नयापलली, सिविक सेंटर, भुवनेश्वर 751015.

18. पंजाब क्षेत्रीय कार्यालय, प्लॉट नो.3, सेक्टर 34-ए पोस्ट बॉक्स नं. 7, चंडीगढ़ 160022

19. राजस्थान क्षेत्रीय कार्यालय, नाबार्ड, नेहरू प्लेस, टोंक रोड, जयपुर 302015.

20. सिक्किम क्षेत्रीय कार्यालय, नाबार्ड, ओम निवास, चर्च रोड, गंगटोक 737101

21. तमिलनाडु क्षेत्रीय कार्यालय, 48, महात्मा गांधी रोड, नंगम्बक्कम, चेन्नै 600034.

22. तेलंगाणा क्षेत्रीय कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, नाबार्ड 1-1-61, आर.टी.सी, क्रॉस रोड, मुशीराबाद, हैदराबाद 500020.

23. उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय, नाबार्ड, विपिन खंड, गोमतीनगर, लखनऊ 226010.

24. उत्तराखंड क्षेत्रीय कार्यालय, नाबार्ड, 42, आईटी पार्क, सहस्रधारा रोड, देहरादून 248013.

25. पश्चिम बंगाल क्षेत्रीय कार्यालय, नाबार्ड भवन, ब्लॉक डी.पी. – 2, सैक्टर – V, साल्ट लेक, कोलकाता 700091.

5. परीक्षा केन्द्र:

(i) प्रारम्भिक परीक्षा अनुबंध II में यथानिर्दिष्ट राज्यों में विभिन्न केन्द्रों पर ऑनलाइन आयोजित की जाएगी, उम्मीदवार उसी राज्य, जिसके लिए उन्होंने आवेदन किया है, में किसी केंद्र का विकल्प देंगे.

(ii) मुख्य परीक्षा संबन्धित राज्य में, किसी भी स्थान (स्थानों) पर आयोजित की जाएगी. तथापि, बुनियादी सुविधा से संबन्धित किसी अदृष्टपूर्व स्थिति में केन्द्रों को किसी अन्य स्थान पर ले जाया/ संयुक्त किया/ एक में मिलाया जा सकता है.

(iii) नाबार्ड को यह अधिकार है कि वह विकल्प देने वाले उम्मीदवारों की संख्या, प्रशासनिक व्यवहार्यता आदि को ध्यान में रखते हुए किसी परीक्षा केन्द्र को रद्द कर दे और/ या कुछ अन्य केन्द्र जोड़ दे.

(iv) नाबार्ड को यह अधिकार होगा कि वह किसी उम्मीदवार को उसके द्वारा दिए गए विकल्प के अनुसार केन्द्र आबंटित न कर कोई अन्य केन्द्र आबंटित कर दे.

(v) उम्मीदवार अपने जोखिम और खर्च पर परीक्षा केन्द्र में परीक्षा देने के लिए आएंगे और नाबार्ड किसी भी प्रकार की किसी क्षति या हानि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा.

(vi) परीक्षा केन्द्र के संबंध में उम्मीदवार द्वारा दिया गया विकल्प अंतिम होगा.

(vii) परीक्षा के केन्द्र/ स्थल/ तारीख/ सत्र में परिवर्तन के किसी अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा.

(viii) "ऑनलाइन" परीक्षा के लिए किसी विशिष्ट केंद्र हेतु यदि पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार विकल्प नहीं देते हैं तो नाबार्ड को यह अधिकार होगा कि वह उन उम्मीदवारों को नजदीकी केंद्र आबंटित करे या यदि किसी केंद्र के लिए ऑनलाइन परीक्षा हेतु उपलब्ध क्षमता से अधिक संख्या में उम्मीदवार विकल्प देते हैं तो नाबार्ड को यह अधिकार होगा कि वह उन उम्मीदवारों को कोई अन्य केंद्र आबंटित करे.

**6.	सेवा की शर्तें / केरियर की संभावनाएं:**

(i)	वेतनमान:

चुने गए उम्मीदवार **रु. 13150-750-15400-900-19000-1200-26200-1300-28800-1480-33240-1750-34990 (20 वर्ष)** के वेतनमान में आरंभ में प्रति **माह रु. 14,650/- का मूल वेतन (दो अग्रिम वेतनवृद्धियों सहित)** और समय-समय पर स्वीकार्य अन्य भत्ते नामत:, महंगाई भत्ता, आवास किराया भत्ता, नगर क्षतिपूर्ति भत्ता, वाहन भत्ता, आदि आहरित करेंगे. वर्तमान में सहायकों की सकल मासिक परिलब्धियां लगभग रु. 32,000/- हैं.

**(ii)	अनुलब्धियां:**

पात्रता के अनुसार, उपलब्धता के अधीन नाबार्ड का आवास, कार्यालयीन प्रयोजन से गाड़ी के मेन्टेनेन्स खर्च की प्रतिपूर्ति, समाचार पत्र, ब्रीफकेस, पुस्तक अनुदान, आवास सज्जा भत्ता, आदि. पात्रता के अनुसार बाहरी उपचार/ अस्पताल में भर्ती होने पर हुए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के अलावा डिस्पेन्सरी की सुविधा; ब्याज मुक्त त्यौहार अग्रिम, दो वर्ष में एक बार छुट्टी किराया सुविधा (स्वयं, पति/ पत्नी और पात्र आश्रितों के लिए). आवास, कार, शिक्षा, उपभोक्ता वस्तुओं, पर्सनल कम्प्यूटर आदि के लिए रियायती ब्याज दर पर ऋण और अग्रिम. नए भर्ती होने वाले कर्मचारी ग्रेच्युटी और वैकल्पिक ग्रुप टर्म एंश्योरेंस प्लान के लाभ के अतिरिक्त डिफाइन्ड कन्ट्रीब्युशन न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) से संचालित होंगे.

(iii)	उच्चतर ग्रेडों में पदोन्नति की यथोचित संभावनाएं हैं.

(iv) चुने गए उम्मीदवारों को आरंभ में नाबार्ड के प्रधान कार्यालय/ जिस क्षेत्रीय कार्यालय/ प्रशिक्षण संस्थान के लिए उम्मीदवार ने आवेदन किया है, उस कार्यालय में पदस्थापित किया जाएगा. तथापि वे भारत में कहीं भी स्थानांतरण के लिए पात्र होंगे.

**7.	आवदेन कैसे करें**

निम्नलिखित के संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश/ प्रक्रिया

अ.	**आवेदन का पंजीकरण**
**आ.	शुल्क का भुगतान**
**इ.	दस्तावेज़ स्कैन और अपलोड करना**

उम्मीदवार केवल 14 सितंबर 2019 से 02 अक्तूबर 2019 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और किसी भी अन्य प्रकार से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा.

<u>रजिस्ट्रेशन के पहले ध्यान देने योग्य महत्त्वपूर्ण बातें</u>

ऑनलाइन आवेदन करने से पहले -

I. उम्मीदवार
अपना फोटोग्राफ (4.5 से.मी. X 3.5 से.मी.)
हस्ताक्षर (काली स्याही से)
बाएं हाथ के अंगूठे की छाप (सफ़ेद कागज़ पर काली या नीली स्याही से) और
एक हस्तलिखित घोषणा (सफ़ेद कागज़ पर काली स्याही से)
स्कैन करे और यह सुनिश्चित करे कि फोटोग्राफ और हस्ताक्षर को अपलोड करने के संबंध में विज्ञापन में दिए गए विशिष्ट विनिर्देशों का पालन किया जाता है.

II. बड़े (कैपिटल) अक्षरों में किए गए हस्ताक्षर स्वीकार नहीं किए जाएंगे.

III. बाएं हाथ के अंगूठे की छाप अच्छी तरह से स्कैन की जाए और अस्पष्ट न हो. (यादों बायां अंगूठा न हो पूरा न हो, तो उम्मीदवार आवेदन के लिए दाहिने हाथ के अंगूठे की छाप ले सकता है).

IV. हस्तलिखित घोषणा का पाठ निम्नानुसार है:

"I.....................(Name of the candidate), hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting documents as and when required."

V. उपर्युक्त हस्तलिखित घोषणा उम्मीदवार के अपने हस्तलेख में होगी और केवल अंग्रेजी में होगी. यदि यह किसी अन्य के द्वारा लिखी और अपलोड की गई होगी या किसी अन्य भाषा में होगी तो आवेदन को अवैध माना जाएगा. (दृष्टिगत बाधा वाले जो उम्मीदवार लिख नहीं सकते वे घोषणा के पाठ को टंकित करा कर टंकित घोषणा के नीचे अपने बाएं हाथ के अंगूठे की छाप लगाकर दस्तावेज़ को विनिर्देशों के अनुसार अपलोड कर सकते हैं.

VI. अपेक्षित आवेदन शुल्क/ सूचना प्रभार के ऑन-लाइन भुगतान के लिए आवश्यक विवरण/ दस्तावेज़ तैयार रखें.

VII. उम्मीदवारों के पास एक वैध व्यक्तिगत ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए जिसे इस भर्ती प्रक्रिया के पूरे होने तक सक्रिय रखा जाना चाहिए. बैंक परीक्षा आदि के लिए कॉल लेटर पंजीकृत ई-मेल आईडी के माध्यम से भेज सकता है. यदि किसी उम्मीदवार के पास वैध व्यक्तिगत ईमेल आईडी न हो, तो उसे ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अपना नया ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर बनाना चाहिए और उस ईमेल एकाउन्ट और मोबाइल नंबर को बनाए रखना चाहिए.

आवेदन शुल्क/ सूचना प्रभार (वापसी योग्य नहीं):
शुल्क का ऑन-लाइन भुगतान : (14 सितंबर 2019 से 02 अक्तूबर 2019 तक)

आवेदकों का संवर्ग	**आवेदन शुल्क**	**परीक्षा शुल्क**	**कुल**
अजा/ अजजा/ पीडब्ल्यूबीडी/ पूर्व सैनिक के लिए	-	रु. 50	रु. 50
अन्य सभी	रु. 400	रु.50	रु. 450

iii. आवेदन शुल्क/ सूचना प्रभार के ऑनलाइन भुगतान के लिए बैंक लेनदेन प्रभार को उम्मीदवार द्वारा वहन किया जाएगा.

अ. आवेदन का पंजीकरण

1. उम्मीदवार नाबार्ड की वेबसाइट www.nabard.org पर होम पेज में जा और **"अप्लाय ऑनलाइन"** पर क्लिक करें जिससे नया स्क्रीन खुलेगा.

2. आवेदन पत्र के पंजीकरण के लिए "क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन" टैब का चयन करें और उसमें अपना नाम, संपर्क विवरण और ई-मेल आईडी भरें. सिस्टम के द्वारा अनंतिम रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जेनरेट किया जाएगा और वह स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा. उम्मीदवार अनंतिम रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड नोट करे. अनंतिम रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्शाने वाला ई-मेल और एसएमएस भी उम्मीदवार को भेजा जाएगा.

3. यदि उम्मीदवार एक बार में आवेदन फॉर्म पूरी तरह से नहीं भर पता है तो "सेव अँड नेक्स्ट"टैब का चयन कर डाटा को सेव किया जा सकता है. उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने से पहले आवेदन फॉर्म में विवरण का सत्यापन करने से पहले "सेव अँड नेक्स्ट" सुविधा का उपयोग करें और यदि आवश्यकता हो तो उसमें परिवर्तन करें. दृष्टि बाधित उम्मीदवार सावधानीपूर्वक आवेदन फॉर्म भरें और अंतिम रूप से प्रस्तुत करने से पहले उसमें भरा गया विवरण सही है यह सुनिश्चित करने के लिए उसे सत्यापित करें/ सत्यापित करवाएं.

4. उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन में अपना विवरण सावधानीपूर्वक भरें और उसे स्वयं सत्यापित करें क्योंकि **फाइनल सबमिट बटन** क्लिक करने के बाद किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन करना संभव नहीं होगा/ नहीं करने दिया जाएगा.

5. उम्मीदवार के प्रमाणपत्रों/ अंक-पत्रों में जिस प्रकार उनका नाम लिखा गया है उसी प्रकार उम्मीदवार या उनके पिता/ पति आदि का नाम लिखा है उसी प्रकार आवेदन फॉर्म में लिखा जाए. किसी भी प्रकार के परिवर्तन/ फेरबदल किए जाने पर उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द की जाएगी.

6. 'वैलिडेट यूअर डिटेल्स" और "सेव अँड नेक्स्ट" बटन को क्लिक कर आपके विवरणों को प्रमाणित और सेव करें.

7. उम्मीदवार, फोटोग्राफ और हस्ताक्षर को स्कैन और अपलोड करने के संबंध में "इ" के अंतर्गत दिए गए दिशानिर्देशों में दिए गए विवरण के अनुसार फोटो और हस्ताक्षर को अपलोड करें.

8. उम्मीदवार आवेदन फॉर्म के अन्य विवरण भरें.

9. अंत में फाइनल सबमिट बटन क्लिक करने से पहले सम्पूर्ण आवेदन फॉर्म का प्रिव्यू देखने और उसे सत्यापित करने के लिए प्रिव्यू टैब को क्लिक करें.

10. यदि आवश्यक हो तो विवरण संशोधित करें और फोटोग्राफ, हस्ताक्षर अपलोड किए गए हैं तथा आपके द्वारा अन्य विवरण सही भरे गए हैं यह सुनिश्चित करने के बाद ही "फाइनल सबमिट" बटन क्लिक करें.

11. “पेमेंट” टैब पर क्लिक करें और भुगतान करें.

12. “सबमिट” बटन क्लिक करें.

आ. शुल्क का भुगतान

ऑनलाइन मोड

1. आवेदन फॉर्म पेमेंट गेटवे से जुड़ा हुआ है और नीचे दिए गए अनुदेशों का पालन कर भुगतान प्रक्रिया को पूरा किया जा सकता है.
2. भुगतान डेबिट कार्डों (रुपे/ विजा/ मास्टर कार्ड/ मेस्ट्रो), क्रेडिट कार्डों, इंटरनेट बैंकिंग, आईएमपीएस, कैश कार्डों/ मोबाइल वालेटों का उपयोग करते हुए किया जा सकता है.
3. **ऑनलाइन आवेदन पत्र में भुगतान की सूचना सबमिट करने के बाद उम्मीदवार को सर्वर से सूचना आने का इंतजार करना चाहिए. बैक या रिफ्रेश बटन को दबाना नहीं चाहिए ताकि डबल पेमेंट से बचा जा सके.**
4. लेनदेन के सफलतापूर्वक पूरा होने पर एक ई-रसीद जेनरेट होगी.
5. ई-रसीद का जेनरेट न होना पेमेंट फेल्यूर दर्शाता है. पेमेंट के फेल हो जाने पर उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वे अपने अनंतिम रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग कर भुगतान की प्रक्रिया दोहराएं.
6. उम्मीदवारों के लिए यह आवश्यक है कि वे **ई-रसीद और ऑनलाइन आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट लें**. **कृपया यह नोट करें कि यदि ई-रसीद जनरेट नहीं होती तो इसका मतलब है कि ऑनलाइन लेनदेन सफल नहीं हुआ.**
7. क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने वालों के लिए: सभी राशियां भारतीय रुपए में दी गई हैं. यदि आप गैर-भारतीय कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपका बैंक वर्तमान विनिमय दर के आधार पर उसे आपकी स्थानीय मुद्रा में बदल देगा.
8. अपने डेटा की सुरक्षा के लिए लेनदेन पूर्ण हो जाने के बाद अपना ब्राउजर विंडो बंद कर दे.
9. **शुल्कों का भुगतान करने के बाद शुल्क से संबन्धित विवरणों सहित आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट लेने की सुविधा दी गई है.**

इ. दस्तावेज़ स्कैन और अपलोड करने संबंधी दिशानिर्देश

ऑनलाइन आवेदन के पहले उम्मीदवार के पास अपने फोटोग्राफ और हस्ताक्षर का नीचे दिए गए विनिर्देशों के अनुरूप स्कैन किया गया (डिजिटल) इमेज होना चाहिए.

फोटोग्राफ इमेज

- नवीनतम रंगीन पासपोर्ट फोटोग्राफ होना चाहिए.
- फोटोग्राफ हल्के रंग में, विशेष कर सफेद रंग की पृष्ठभूमि में लिया होना चाहिए.
- चिंतामुक्त चेहरे के साथ कैमरे के सामने सीधा देखिए.
- यदि सूर्य प्रकाश में अथवा सूर्य आपके पीछे होने की स्थिति में फोटो लें या छांव में रहें ताकि आपकी आँखें तिरछी न हों और कोई घनी परछाई ना आ रही हो.
- यदि आपको 'फ्लैश' का उपयोग करना है तो यह सुनिश्चित करें कि फोटोग्राफ में `रेड आय` नहीं दिखें.
- यदि आपने चश्मे पहन रखे हैं तो यह सुनिश्चित करें कि कोई रिफ्लेक्शन नहीं है व आंखें स्पष्ट दिख रही हैं.
- टोपी, गोल-टोपी और गहरे रंग के चश्मे स्वीकार्य नहीं होंगे. चेहरा नहीं ढंकनेवाली धार्मिक पगड़ी की अनुमति होगी.
- डायमेंशन्स 200 x 230 पिक्सल्स (अधिमानतः)
- 20 केबी से 50 केबी तक फाइल साइज
- यह सुनिश्चित करें कि स्कैन्ड इमेज 50 केबी से अधिक न हो. यदि फाइल 50 केबी से अधिक हो तो तो स्कैनिंग प्रक्रिया के दौरान स्कैनर का सेटिंग जैसे डीपीआई रिजोल्यूशन, रंगों की संख्या आदि को एडजस्ट करें.
- यदि फोटो को फोटो के स्थान पर अपलोड नहीं किया जाता तो परीक्षा में प्रवेश रद्द/ मना कर दिया जाएगा. इसके लिए उम्मीदवार स्वयं उत्तरदायी होगा.
- उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि फोटो को फोटो के स्थान पर और हस्ताक्षर को हस्ताक्षर के स्थान पर अपलोड किया जाए. यदि फोटो के स्थान पर फोटो और हस्ताक्षर के स्थान पर हस्ताक्षर अपलोड नहीं किया जाता तो उम्मीदवार को परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा.
- उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपेक्षित आकार का फोटो अपलोड किया जाए और चेहरा स्पष्ट दिखाई दे.

हस्ताक्षर, बाएं हाथ के अंगूठे की छाप और हस्तलिखित घोषणा के इमेज

- उम्मीदवार को सफेद कागज पर काली स्याही से हस्ताक्षर करने होंगे.
- उम्मीदवार को काली या नीली स्याही से सफ़ेद कागज़ पर बाएं हाथ के अंगूठे की छाप लेनी होगी.
- उम्मीदवार को सफ़ेद कागज़ पर काली स्याही से अंग्रेजी में साफ-साफ अक्षरों में घोषणा लिखनी होगी.
- हस्ताक्षर, बाएं हाथ के अंगूठे की छाप और हस्तलिखित घोषणा आवेदक की और उसके ही द्वारा होनी चाहिए न कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा.
- हस्ताक्षर का उपयोग कॉल लेटर पर और आवश्यकतानुसार अन्यत्र डालने के लिए किया जाएगा.

- कॉल लेटर पर उम्मीदवार के हस्ताक्षर और परीक्षा के दौरान उपस्थिति शीट पर उम्मीदवार के हस्ताक्षर का मिलान अपलोडेड हस्ताक्षर से होना चाहिए. ऐसा नहीं होने पर, उम्मीदवार को अपात्र घोषित किया जाएगा.
- डायमेंशन्स - 140 x 60 पिक्सल्स (अधिमानतः)
- फाइल साइज 10 से 20 केबी तक (हस्ताक्षर और बाएं हाथ के अंगूठे की छाप के लिए)
- हस्तलिखित घोषणा के लिए फ़ाइल साइज 20 केबी से 50 केबी
- यह सुनिश्चित करें कि स्कैंड इमेज की साइज 20 केबी से अधिक (हस्ताक्षर और बाएं हाथ के अंगूठे की छाप के लिए) और 50 केबी से अधिक (हस्तलिखित घोषणा के लिए) न हो.
- बड़े (कैपिटल) अक्षरों में हस्ताक्षर/ हस्तलिखित घोषणा स्वीकार नहीं की जाएगी.

दस्तावेजों की स्केनिंग

- स्केनर न्यूनतम 200 डीपीआई तक सेट करें (प्रति इंच डोट्स)
- कलर को `ट्रू' कलर में सेट करें
- फाइल साइज उक्तानुसार विनिर्दिष्ट
- फोटोग्राफ/ हस्ताक्षर/ बाएं हाथ के अंगूठे की छाप/ हस्तलिखित घोषणा के अंतिम सिरे तक स्केनर में इमेज को क्राप करें और उसके बाद (ऊपर विनिर्दिष्टानुसार) अपलोड एडिटर का उपयोग कर इमेज को क्राप कर उसे अंतिम आकार दें
- फाइल की इमेज जेपीजी/ जेपीईजी फार्मेट में होनी चाहिए. उदाहरण के रूप में – फाइल का नाम है: इमेज01.जेपीजी या इमेज 01.जेपीईजी इमेज डिमेशन्स की जांच फोल्डर फाइलों की लिस्टिंग या फाइल इमेज आइकोन पर माउस को घुमा कर की जा सकती है.
- एमएस-विन्डो / एमएस ऑफिस का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थी एमएस पेंट या एमएस ऑफिस पिक्चर मैनेजर के माध्यम से अधिकतम क्रमश: 50 केबी और 20 केबी के फोटोग्राफ व हस्ताक्षर आसानी से जेपीईजी फार्मेट में प्राप्त कर सकते है. किसी भी फार्मेट में स्कैन्ड फोटोग्राफ और हस्ताक्षर को फाइल मेनू में `सेव ऐज` के विकल्प का उपयोग कर `सेव` किया जा सकता है और `क्राप' का उपयोग कर उसके आकार को 50 केबी से कम (फोटोग्राफ) और 20 केबी (हस्ताक्षर) तक कम किया जा सकता है. {कृपया पिक्सल साइज हेतु इमेज मेनू में उक्तानुसार बिन्दु (i) और (ii) देखें)}. अन्य फोटो एडिटर में भी इस प्रकार के विकल्प उपलब्ध हैं.

यदि फाइल साइज आकार और प्रारूप यथा निर्धारित अनुसार नहीं होंगे तो `गलती` का संदेश प्रदर्शित होगा.

ऑनलाइन आवेदनपत्र भरते समय उम्मीदवार को अपना फोटोग्राफ और हस्ताक्षर, बाएं हाथ के अंगूठे की छाप, हस्तलिखित घोषणा अपलोड करने हेतु लिंक दिया जाएगा.

दस्तावेज़ अपलोड करने हेतु प्रक्रिया

- फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, बाएं हाथ के अंगूठे की छाप, हस्तलिखित घोषणा अपलोड करने हेतु अलग-अलग लिंक होंगे.
- फोटोग्राफ/ हस्ताक्षर/ बाएं हाथ के अंगूठे की छाप/ हस्तलिखित घोषणा में से संबन्धित लिंक को क्लिक करें.
- फोटोग्राफ/ हस्ताक्षर/ बाएं हाथ के अंगूठे की छाप/ हस्तलिखित घोषणा की फाइल जहां `सेव` की गई है वहां ब्राऊज और सिलेक्ट करें.
- उस पर क्लिक करके फाइल को सिलेक्ट करें.
- **'ओपन/ अपलोड'** बटन को क्लिक करें.

ऑनलाइन आवेदन को पंजीकृत नहीं किया जाएगा जब तक फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, बाएं हाथ के अंगूठे की छाप, हस्तलिखित घोषणा ऊपर दिए गए निर्देश के अनुसार अपलोड नहीं कर दिए जाते.

नोट :

1) यदि फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, बाएं हाथ के अंगूठे की छाप, हस्तलिखित घोषणा स्पष्ट नहीं हैं तो उम्मीदवार का आवेदन रद्द किया जा सकता है.

2) ऑनलाइन आवेदन में फोटोग्राफ/ हस्ताक्षर/ बाएं हाथ के अंगूठे की छाप/ हस्तलिखित घोषणा अपलोड करने के बाद उम्मीदवार को यह जांच करन चाहिए कि सभी इमेज स्पष्ट हैं और ठीक से अपलोड किए गए हैं. यदि फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, बाएं हाथ के अंगूठे की छाप, हस्तलिखित घोषणा स्पष्ट रूप से नहीं दिखते तो उम्मीदवार अपने आवेदन को संपादित कर सकता है और अपेक्षित सुधार कर आवेदन को फिर से अपलोड कर सकता है.

3) उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन पंजीकरण के बाद वह सिस्टम से जनरेट हुए अपने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट ले लें.

उम्मीदवारों को उनके हित में यह सूचित किया जाता है कि आवेदन करने की अंतिम तारीख से काफी पहले आवेदन करें और अंतिम तारीख तक शुल्क जमा करने के लिए इंतजार न करें ताकि इंटरनेट पर ज्यादा लोड पड़ने/ वैबसाइट जाम होने के कारण नाबार्ड की वैबसाइट पर कनेक्ट न हो पाने/ अक्षमता/असफलता से बचा जा सके.

उक्त कारणों से या नाबार्ड के नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण यदि कोई उम्मीदवार अपना आवेदन अंतिम तारीख से पहले प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए नाबार्ड की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी.

उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी उम्मीदवार के लिए व्यक्तिगत रूप से बाध्यकारी होगी. बाद में यदि उम्मीदवार द्वारा दी गई कोई भी जानकारी/ विवरण मिथ्या पाया जाता है तो उम्मीदवार अभियोग/ दीवानी कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होगा/ होगी.

<u>कदाचार के दोषी पाए जाने वाले/ अनुचित साधनों का उपयोग करने वाले उम्मीदवारों के विरुद्ध कार्रवाई:</u>

उम्मीदवारों को उनके हित में सूचित किया जाता है कि वे ऑन लाइन आवेदनपत्र भरते समय कोई ऐसा विवरण न दें जो झूठा, हेर-फेर किया हुआ या मनगढ़ंत हो और न ही किसी महत्त्वपूर्ण जानकारी को छिपाएं. परीक्षा के समय अथवा बाद की प्रक्रिया के दौरान, यदि उम्मीदवार को निम्नलिखित का दोषी पाया जाता है –

(i) अनुचित साधनों का उपयोग, या

(ii) किसी अन्य व्यक्ति के नाम से परीक्षा देना अथवा अपने नाम पर किसी अन्य व्यक्ति को परीक्षा में बिठाना, या

(iii) परीक्षा/ साक्षात्कार भवन में दुर्व्यवहार करना अथवा प्रश्नपत्र को प्रकट करना, प्रदर्शित करना, प्रतिलिपि तैयार करना, प्रसारित करना, स्टोर करना या प्रश्नपत्र की जानकारी को या उसमें दी गई सम्पूर्ण या जानकारी या उसके हिस्से को किसी भी प्रयोजन से किसी भी रूप में या किसी भी प्रकार से मौखिक या लिखित, इलेक्ट्रोनिक या मशीनी रूप से प्रसारित करने और स्टोर करने में सहायता करना

(iv) अपनी उम्मीदवारी के मामले में किसी अनियमित या अनुचित साधन का उपयोग

(v) अनुचित साधनों के माध्यम से अपनी उम्मीदवारी के लिए सहायता प्राप्त करना या

(vi) परीक्षा/ साक्षात्कार के हॉल में सम्प्रेषण के साधन जैसे मोबाइल फोन या इसी प्रकार का इलेक्ट्रोनिक उपकरण ले जाने वाला उम्मीदवार आपराधिक कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होने के अलावा :

क. जिस परीक्षा का वह उम्मीदवार है उसके लिए उसे अयोग्य ठहराया जाएगा.

ख. बैंक द्वारा आयोजित की जाने वाली किसी भी परीक्षा के लिए स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिए विवर्जित किया जाएगा.

ग. यदि पहले ही बैंक की सेवा में आ गया है तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा.

8. बायोमेट्रिक डाटा – कैप्चर और सत्यापित करना

परीक्षा के दिन उम्मीदवारों का बायोमेट्रिक डाटा (अंगूठे का इम्प्रेशन) और फोटोग्राफ ले लिया जाएगा जिसका सत्यापन भर्ती/ नियुक्ति की प्रक्रिया के दौरान बाद में किया जाएगा. बायोमेट्रिक डाटा की स्थिति (समानता और अंतर) के संबंध में बायोमेट्रिक डाटा के सत्यापन प्राधिकारी का निर्णय अंतिम और सभी उम्मीदवारों के लिए बाध्यकारी होगा.

उम्मीदवारों से अनुरोध है कि बायोमेट्रिक सत्यापन सुचारु रूप से हो इसके लिए निम्नलिखित बिन्दुओं के संबंध में सावधानी बरतनी होगी :

- यदि उंगलियों पर कोई कोट (मुहर की स्याही/ मेहंदी/ रंग आदि) दिया गया हो तो कृपया यह सुनिश्चित करें कि उनको स्वच्छ कर लें ताकि परीक्षा से पहले वह कोट जाए.
- यदि उंगलियां गंदी हैं या उनपर धूल लगी हुई है तो उन्हें स्वच्छ कर लें और फिंगर प्रिंट (बायोमेट्रिक) लेने से पहले उनको सुखा लें.

- सुनिश्चित करें कि दोनों हाथों की उंगलियां सूखी हों, यदि गीली हों तो सभी उंगलियों को पोंछकर सुखा लें.
- यदि कैप्चर किया जाने वाला अंगूठा दुर्घटनाग्रस्त/ क्षतिग्रस्त है तो तत्काल परीक्षा केंद्र पर संबन्धित प्राधिकारी को सूचित करें. इस प्रकार के मामले में अन्य उंगलियों, पैर की उंगलियों आदि के इंप्रेशन को कैप्चर किया जा सकता है.

9. सामान्य नियम/ अनुदेश:

i. ऑनलाइन आवेदन के समय उम्मीदवार को आवेदन का प्रिंट आउट या कोई प्रमाणपत्र या उसकी प्रतियां किसी पते पर भेजने की आवश्यकता नहीं है. आवेदन में दी गई सूचना के आधार पर उनकी उम्मीदवारी पर विचार किया जाएगा. किसी भी स्थिति में यदि यह देखा जाता है कि ऑनलाइन आवेदन में दी गई सूचना झूठी/ गलत है या नाबार्ड के अनुसार उम्मीदवार यदि पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता तो उसकी उम्मीदवारी/ नियुक्ति रद्द/ समाप्त की जाएगी.

ii. सभी शैक्षणिक योग्यताएं भारत में किसी केंद्रीय अधिनियम अथवा राज्य विधान मण्डल द्वारा निगमित विश्वविद्यालय/ संस्था अथवा संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी अन्य शैक्षणिक संस्थान अथवा यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 3 के अंतर्गत घोषित डीम्ड विश्वविद्यालय से प्राप्त होनी चाहिए.

iii. आवेदन के लिए अपनी पात्रता के संबंध में सलाह मांगने वाले उम्मीदवारों के किसी भी अनुरोध पर नाबार्ड द्वारा विचार नहीं किया जाएगा.

iv. उम्मीदवार को ऑन लाइन परीक्षा हेतु कॉल लेटर को डाउनलोड़ करने के लिए नाबार्ड की वेबसाइट www.nabard.org पर जाना होगा. कॉल लेटर को डाउनलोड़ करने से संबंधित सूचना ई-मेल/एसएमएस से भेजी जाएगी. उम्मीदवार द्वारा एक बार संबंधित लिंक को क्लिक करने के बाद, वे कॉल लेटर को डाउनलोड़ कर सकते हैं. इस हेतु उम्मीदवार को (i) पंजीकरण संख्या/रोल नंबर, (ii) पासवर्ड/जन्म तारीख का उपयोग करना होगा. उम्मीदवार को अपना नवीनतम फोटोग्राफ विशेषकर जो उसने पंजीकरण के दौरान दिया है, को कॉल लेटर पर चिपकाना होगा और परीक्षा केन्द्र पर (i) कॉल लेटर, (ii) नीचे खंड (xiii) में यथा निर्धारित और जैसा कि कॉल लेटर में निर्दिष्ट किया गया है उसके अनुसार फोटो पहचानपत्र और मूल फोटो पहचान पत्र की छायाप्रति के साथ उपस्थित होना होगा.

v. **विलंब से आनेवाले उम्मीदवारों** अर्थात् कॉल लेटर में परीक्षा के लिए निर्धारित समय के बाद आने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी. कॉल लेटर में परीक्षा हेतु इंगित समय परीक्षा शुरु होने से पहले का है. यद्यपि प्राथमिक परीक्षा की अवधि 1 घंटा और मुख्य परीक्षा की अवधि 2 घंटे है उम्मीदवारों को विभिन्न औपचारिकताएं जैसे विभिन्न अपेक्षित दस्तावेजों का सत्यापन व संग्रहण, लॉग-इन, अनुदेश देने आदि के लिए क्रमशः 3 और 4 घंटे परीक्षा केन्द्र पर उपस्थित रहना होगा.

vi. उम्मीदवार को लिखित परीक्षा में भाग लेने हेतु अपनी लागत पर परीक्षा स्थान पर पहुंचना होगा.

vii. आयु/ योग्यता/ श्रेणी आदि से संबन्धित दस्तावेज़ नियुक्ति के समय प्रस्तुत करने होंगे. अजा/ अजजा/ अपिव के रूप में आरक्षण चाहने वाले उम्मीदवार जाती प्रमाणपत्र सक्षम प्राधिकारी से निर्धारित फॉर्मेट में, जिसमें उम्मीदवार की जाति, जिस अधिनियम/ आदेश के तहत उसकी जाति अजा/ अजजा/ अपिव के रूप में मान्यता प्राप्त है और उम्मीदवार मूल रूप से किस ग्राम/ नगर का निवासी है स्पष्टतः इंगित होना चाहिए, उम्मीदवार को नियुक्ति के समय प्रस्तुत करना होगा.

viii. परीक्षा के आयोजन में किसी भी तरह की समस्या के उत्पन्न होने की संभावना को पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता जिसके कारण परीक्षा और या उसका परिणाम प्रभावित हो सकता है. ऐसी परिस्थिति में समस्या के समाधान के पूरे प्रयास किए जाएंगे जिसमें उम्मीदवारों को अन्य केन्द्रों पर शिफ्ट करना या यदि आवश्यक हो तो दूसरी परीक्षा का आयोजन करना शामिल है. इस संबंध में नाबार्ड का निर्णय अंतिम होगा. इस प्रकार के परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए जो उम्मीदवार इच्छुक नहीं हैं इस परीक्षा के लिए उनकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी.

ix. भर्ती से संबन्धित सभी मामलों में नाबार्ड का निर्णय अंतिम और उम्मीदवार के लिए बाध्यकारी होगा. इस संबंध में नाबार्ड द्वारा कोई भी पत्राचार या व्यक्तिगत पूछताछ का जवाब नहीं दिया जाएगा.

x. यदि परीक्षा का आयोजन एक से अधिक सत्रों में किया जाता है तो विभिन्न सत्रों में प्राप्त अंकों को समीकृत किया जाएगा ताकि परीक्षा के सभी सत्रों में उपयोग किए गए विभिन्न टेस्ट बैटरीज़ की कठिनाई के स्तर के न्यून अंतराल को समायोजित किया जा सके. यदि किसी केंद्र की नोड क्षमता कम है या किसी केंद्र पर या किसी उम्मीदवार के मामले में कोई तकनीकी कठिनाई पैदा होती है तो एक से अधिक सत्रों में परीक्षा लेने की आवश्यकता पड़ती है.

xi. एक उम्मीदवार के सही या गलत उत्तरों के साथ अन्य उम्मीदवार के उत्तरों के साम्य की पद्धति को जांचने के लिए नाबार्ड अलग-अलग उम्मीदवारों के उत्तरों का विश्लेषण करेगा. इस संबंध में नाबार्ड द्वारा अपनाई गई विश्लेषणात्मक प्रक्रिया से यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि मिल-जुलकर उत्तर लिखे गए हैं और प्राप्त अंक वास्तविक / वैध नहीं हैं तो नाबार्ड के पास संबन्धित उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा और इसप्रकार के उम्मीदवारों (अयोग्य) के परीक्षा परिणामों की घोषणा नहीं की जाएगी.

xii. भर्ती प्रक्रिया के किसी स्तर पर उम्मीदवार द्वारा गलत जानकारी देने और/ या प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया देखा जाता है तो भर्ती प्रक्रिया से उम्मीदवार को अयोग्य ठहराया जाएगा और भविष्य में उन्हें नाबार्ड की किसी भर्ती परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी. यदि वर्तमान भर्ती प्रक्रिया के दौरान इस प्रकार की घटनाएं पकड़ी नहीं जाती और बाद में पकड़ी जाती हैं तो ऐसे उम्मीदवारों को पूर्वव्यापी प्रभाव से अयोग्य ठहराया जाएगा.

xiii. **पहचान का सत्यापन** परीक्षा के हॉल में और साक्षात्कार के समय कॉल लेटर के साथ उम्मीदवार के वर्तमान वैध फोटो पहचानपत्र अर्थात् आधार/ पैन कार्ड/ पासपोर्ट/ ड्राइविंग लाइसेन्स/ मतदाता पत्र/ फोटोग्राफ के साथ बैंक पासबूक/ राजपत्रित अधिकारी द्वारा अपने आधिकारिक पत्र शीर्ष पर जारी फोटो पहचान पत्र/ जनप्रतिनिधि द्वारा अपने आधिकारिक पत्र शीर्ष पर जारी फोटो पहचान पत्र/ मान्यता प्राप्त महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय द्वारा जारी हाल ही में जारी पहचान पत्र/ फोटोग्राफ सहित आधार कार्ड/ ई-आधार कार्ड/ फोटोग्राफ के साथ कर्मचारी पहचान पत्र/ बार काउंसिल का पहचान कार्ड परीक्षक के समक्ष सत्यापन के लिए प्रस्तुत करना होगा. उम्मीदवार की पहचान का सत्यापन उसके कॉल लेटर, उपस्थिती सूची और प्रस्तुत किए गए आवश्यक विवरणों पर दिए गए विवरण के संदर्भ में किया जाएगा. यदि उम्मीदवार की पहचान संदेहास्पद है तो उसे परीक्षा में सहभागी होने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

xiv. इस परीक्षा के लिए राशन कार्ड और लर्नर ड्राइविंग लाइसेन्स वैध पहचान पत्र नहीं माने जाएंगे.

नोट : परीक्षा के समय उम्मीदवारों को कॉल लेटर के साथ **मूल फोटो पहचान पत्र** और फोटो पहचान पत्र की फोटोकोपी प्रस्तुत करनी होगी अन्यथा उन्हें परीक्षा में सहभागी होने नहीं दिया जाएगा. उम्मीदवार यह नोट करें कि कॉल लेटर (पंजीकरण की प्रक्रिया के दौरान दिया गया) पर लिखा गया नाम फोटो पहचान पत्र पर लिखे नाम के साथ पूरी तरह मेल खाना चाहिए. महिला उम्मीदवार जिन्होंने विवाह के बाद अपना पहला/ अंतिम/ बीच का नाम

बदला है वे विशेष रूप से इस बात पर ध्यान दें. यदि उम्मीदवार के कॉल लेटर और फोटो पहचान पत्र पर दिए गए नाम में विसंगति है तो उम्मीदवार को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

xv. आयु सीमा में छूट चाहने वाले उम्मीदवारों को नियुक्ति के समय आवश्यक प्रमाणपत्र (त्रों) की प्रति प्रस्तुत करनी होगी.

xvi. अपिव के रूप में आरक्षण चाहने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित फॉर्मेट में इस आशय की एक घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि वे नियुक्ति की तारीख को क्रीमी लेयर से ताल्लुक नहीं रखते. क्रीमी लेयर से ताल्लुक न रखने के उल्लेख वाला अपिव प्रमाणपत्र 30.03.2019 के बाद जारी किया गया होना चाहिए.

xvii. राष्ट्रीयकृत बैंकों और वित्तीय संस्थाओं सहित सरकारी/ अर्धसरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत उम्मीदवारों को नियुक्ति के समय अपने नियोक्ता से `अनापत्ति प्रमाणपत्र' प्रस्तुत करना होगा. अनापत्ति प्रमाणपत्र न होने की स्थिति में उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा. नाबार्ड में नियुक्ति के पहले नियोक्ता से एक उचित कार्यमुक्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा.

xviii. किसी भी प्रकार की सिफ़ारिश को अयोग्यता माना जाएगा.

xix. नाबार्ड के साथ पत्र व्यवहार में आवेदन की प्रस्तुति के बाद प्राप्त पंजीकरण संख्या और प्रवेश पत्र में निर्दिष्ट रोल नंबर का उल्लेख अनिवार्य होगा.

xx. किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा स्थल के परिसर में मोबाइल फोन, ब्लू टूथ उपकरण, पेजर या कोई अन्य कम्यूनिकेशन/ इलेक्ट्रोनिक उपकरण लाने की अनुमति नहीं होगी. इन अनुदेशों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप अयोग्य ठहराया जा सकता है और भविष्यगत परीक्षाओं से विवर्जित भी किया जा सकता है.

xxi. उम्मीदवारों को परीक्षा स्थल के परिसर में कलक्यूलेटर के प्रयोग या उसे रखने की अनुमति नहीं है.

xxii. उम्मीदवारों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि परीक्षा स्थल के परिसर में मोबाइल फोन, ब्लू टूथ उपकरण, पेजर जैसे वर्जित उपकरणों को साथ न लाएं क्योंकि उन्हें सुरक्षित रखने की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की जा सकती.

xxiii. नाबार्ड उम्मीदवारों को अंक-पत्र नहीं देगा. तथापि, भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद ऑनलाइन परीक्षा के अंक और कट-ऑफ आदि को नाबार्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा.

xxiv. ये पद नाबार्ड के ऐसे कर्मचारी (स्टाफ उम्मीदवार) जो पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं उनके लिए भी खुले होंगे. स्टाफ उम्मीदवारों के लिए कोई आयु सीमा नहीं होगी.

xxv. इस विज्ञापन और/ या इसके प्रत्युत्तर में किसी आवेदन से उत्पन्न किसी दावे या विवाद के मामले में कानूनी कार्यवाही केवल मुंबई में की जा सकेगी और केवल मुंबई स्थित न्यायालयों/ न्यायाधिकरणों/ मंचों को ही किसी भी कारण/ विवाद को देखने के एकमात्र क्षेत्राधिकार होगा.

xxvi. यदि भर्ती के किसी भी चरण में यह पता चलता है कि कोई उम्मीदवार पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता और/ या उसने कोई गलत/ मिथ्या सूचना प्रस्तुत की है या कोई महत्वपूर्ण तथ्य छुपाया है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी. यदि इनमें से कोई कमी नियुक्ति के बाद भी पता चलती है तो उसकी सेवा समाप्ति के लिए पात्र होगी. पात्रता, लिखित परीक्षा के संचालन, अन्य जांचों और चयन से संबन्धित सभी मामलों में बैंक के निर्णय अंतिम और सभी उम्मीदवारों के लिए बाध्यकारी होंगे. इस संबंध में बैंक किसी भी अभ्यावेदन या पत्र पर विचार नहीं करेगा.

xxvii. भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में या भर्ती या कार्यग्रहण के बाद भी यदि उम्मीदवार द्वारा दी गई कोई जानकारी मिथ्या पायी जाती है या यह पाया जाता है कि वह विज्ञापन में उल्लिखित पात्रता मानदंडों के अनुरूप

नहीं है तो पंजीकृत उम्मीदवार की उम्मीदवारी भी रद्द किए जाने के लिए पत्र होगी. इसके अलावा उम्मीदवार को ऑनलाइन ही आवेदन करना है. किसी भी मैन्युअल/ कागजी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा. उम्मीदवारों की उम्मीदवारी अनंतिम होगी और मूल दस्तावेजों के संदर्भ में पात्रता की शर्तों के सत्यापन के अधीन होगी. उम्मीदवारों का परीक्षण और चयन उनके द्वारा दिए गए विवरणों पर आधारित होगा. इसलिए यह आवश्यक है कि आवेदक एकदम ठीक-ठीक, पूर्ण और सही सूचना ऑनलाइन आवेदन में प्रस्तुत करें. उम्मीदवार द्वारा गलत या मिथ्या सूचना दिए जाने की स्थिति में उसकी उम्मीदवारी चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में अस्वीकार की जा सकती है. ऑनलाइन आवेदन में दिए गए मेलिंग के पते और घोषित श्रेणी में किसी परिवर्तन पर विचार नहीं किया जाएगा.

xxviii. परीक्षा में उम्मीदवार का प्रवेश पूर्णतः अनंतिम है. केवल इस तथ्य का कि उम्मीदवार को कॉल लेटर जारी किया गया है यह निहितार्थ नहीं है कि नाबार्ड द्वारा उसकी उम्मीदवारी को अंतिम रूप से मान्य कर दिया गया है.

xxix. उम्मीदवारों के लिए बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित या पंजीकृत डाक/ स्पीड पोस्ट से प्रेषित या बैंक के साथ पंजीकरण के समय आवेदन में उल्लिखित ई-मेल आईडी पर प्रेषित नोटिस/ कम्युनिकेशन सभी प्रयोजनों के लिए उम्मीदवार को सूचना का पर्याप्त सम्प्रेषण माना जाएगा.

महत्वपूर्ण तारीखें:

ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण तथा ऑनलाइन परीक्षा शुल्क / सूचना प्रभार का भुगतान	**14 सितंबर 2019 से 02 अक्तूबर 2019 तक**

मुंबई
दिनांक : 14 सितंबर 2019

मुख्य महाप्रबंधक
मानव संसाधन प्रबंध विभाग

अस्वीकरण (Disclaimer) : यदि कोई विवाद व्याख्या के कारण उत्पन्न होता है, तो अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा.

अनुबंध - I

राज्य की निर्दिष्ट भाषा

क्रम सं.	राज्य	राजभाषा (एं)
1	आंध्र प्रदेश	तेलुगु
2	अरुणाचल प्रदेश	अंग्रेजी
3	बिहार	हिन्दी
4	छत्तीसगढ़	हिन्दी
5	गुजरात	गुजराती
6	हरियाणा	हिन्दी
7	हिमाचल प्रदेश	हिन्दी
8	जम्मू और कश्मीर	उर्दू, अंग्रेजी
9	झारखंड	हिन्दी
10	कर्नाटक	कन्नड़
11	केरल	मलयालम
12	मध्य प्रदेश	हिन्दी
13	महाराष्ट्र	मराठी
14	मणिपुर	मणिपुरी
15	मेघालय	अंग्रेजी
16	नई दिल्ली	हिन्दी
17	ओडिशा	उडिया
18	पंजाब	पंजाबी
19	राजस्थान	हिन्दी
20	सिक्किम	नेपाली
21	तमिलनाडु	तमिल
22	तेलंगाणा	तेलुगु
23	उत्तराखंड	हिन्दी
24	उत्तर प्रदेश	हिन्दी
25	पश्चिम बंगाल	बांग्ला